न्यायालय सहायक कलक्टर,भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— संजय गोयल, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्याः— 351/07

कन्हैया पुत्र वहोरी जाति जाट निवासी नगला केसरिया तहसील व जिला भरतपुर। ....वादी

बनाम

1. तहसीलदार भरतपुर
2. पटवारी हल्का ग्राम नगला केसरिया तहसील व जिला भरतपुर।
..................तरतीवी प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

दिनांकः— 22—05—2019

वादी ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.ए. विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आराजी खसरा नंबर 257/03, 258/04 किता 2 रकबा 07 एयर वाके ग्राम नगला केसरिया तहसील व जिला भरतपुर में स्थित है जिसका वादी काबिज खातेदार काश्तकार है तथा वादी के हिस्से में आराजी मनबट में आई है तथा जिसमें वादी के कुछ हिस्सा में बाड़ा, मकान बना हुआ है तथा कुछ हिस्सा में फसल ढहचा खडी है एवं सब्जी वाडी करता है व फसल करता है।

वादी से ग्राम नगला केसरिया के व्यक्ति पुरानी रंजिश रखते हैं जिसके आधार पर असत्य मुकदमात लगाते एवं परेशान करते रहते हैं। वादी का जीना दूभर कर रखा है एवं परेशान करते रहते हैं इसी उद्देश्य से कुछ असामाजिक तत्वों ने एक असत्य प्रार्थना पत्र जिलाधीश भरतपुर के समक्ष इस आशय का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पेश किया कि वादी की आराजी जिसमें वादी की फसल खडी है तथा चामण माता का स्थान है, पेड आदि खडे हैं, की पैमाइश कर आबादी में रकबा शामिल किया जावे। जबकि वादी का कब्जा वादी के पुरखों के समय का चला आ रहा है। पुरानी मेड डॉल बनी हैं। वादी को परेशान करने हेतु वह आदेश तहसीलदार भरतपुर को आवश्यक कार्यवाही करे, के आधार पर प्रतिवादीगण पर दबाव बना कर वादी की आराजी की पैमाइश कराकर वादी की डोल मेड को तुडवाना चाहते हैं। जबकि एक तरफ पुख्ता 18 फुट चौडा रास्ता भी बन चुका है।

राजस्व मंडल अजमेर के आदेश हैं कि फसल खडी में कोई पैमाइश नहीं की जावे तथा जून माह से पूर्व कोई पैमाइश न की जावे। वादी ने इस बावत प्रतिवादीगण से कहा तो प्रतिवादीगण ने खुले में वादी से दिनांक 11.09.2007 को कहा कि उन पर गांव वालों का दबाव है कि वो जबरन पैमाइश करेंगे तथा वादी की खडी फसल को नष्ट करेंगे तो वादी को बडा नुकसान हुआ। अगर प्रतिवादी अपने इरादे में सफल हो गये तो वादी को अजीम नुकसान होगा, जिसकी पूर्ति जरिये नकद से हासिल नहीं होगी। यही कारण है कि वादी प्रतिवादीगण को जरिये डिक्री हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबंद करा पाने के अधिकारी हैं।

इस प्रकार वादी ने दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जरिये डिक्री हुक्म दवामी से प्रतिवादी को पाबंद किया जावे कि वह वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 257 रकबा 03 एंव 258 रकबा 04 किता 2 कुल रकबा 07 नगला केसरिया तहसील भरतपुर में किसी प्रकार की खडी फसल की पैमाइश नहीं करें तथा जून माह से पूर्व कोई पैमाइश नहीं करें एवं ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे हकूक वादी पर बुरा असर आवे। वादी ने अपने दावा के समर्थन में संवत 2061—2064 की जमाबंदी पेश की हैं।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर दिनांक 01.07. 2009 को जबाव दावा पेश किया। तत्पश्चात दावा में निम्नांकित तनकियात कायम की गईं–

<u>तनकी नंबर 1–</u> ''आया वादी वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करा पाने के अधिकारी हैं ?'' ..... . वादी

<u>तनकी नंबर 2–</u> ''आया वादी वादग्रस्त आराजी के मात्र 2/3 हिस्से का सहखातेदार कृषक है अन्य सहखातेदारो को पक्षकार मुकदमा न बनाने के कारण दावा काबिल खारिजी के है।'' ....प्रतिवादी

<u>तनकी नंबर 3–</u> ''आया राज सरकार के नियमो के अनुसार कोई भी कृषक अपनी अथवा पडोसी की कृषि भूमि पर जब फसल न खडी हो सीमाज्ञान करा पाने का अधिकारी है।'' ....प्रतिवादी

<u>4. अन्य अनुतोष–</u>

प्रकरण में उपरोक्तानुसार तनकी कायम की जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई। साक्ष्य वादी मे गवाह कन्हैया का शपथ पत्र पी.डबल्यू–1 पेश हुआ। अन्य साक्ष्य न आने पर दिनांक 17.06.2013 को साक्ष्य वादी बंद की गई। इसी प्रकार साक्ष्य प्रतिवादी को भी कई अवसर दिये गये किंतु साक्ष्य प्रतिवादी न आने पर दिनांक 22.04.2014 को साक्ष्य प्रतिवादी भी बंद की जाकर पत्रावली बहस में नियत की गई।

पत्रावली पर वादी के अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी ने दावा में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुऐ प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करते हुऐ दावा वादी डिक्री किये जाने का अनुरोध करते हुऐ अपनी बहस पूर्ण की।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने वादी के अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है –

<u>तनकी नंबर 1–</u> ''आया वादी वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करा पाने के अधिकारी है ।'' इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2061–2064 के अनुसार वादी वाद ग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 257/0.03, 258/0.04 किता 2 रकवा 0.07 हैक्टर का मात्र 2/3 हिस्से का खातेदार है। शेष 1/3 हिस्से के खातेदारो को पक्षकार मुकदमा नही बनाया है। जब तक वादी के हिस्से की आराजी का विधिवत विभाजन नही हो जावे व उसके विशिष्ट भूभाग हिस्सा 2/3 निश्चित नही हो जावे तब तक स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रतिवादी संख्या 1 लैण्ड होल्डर है जो भूमि का अवधारी है उसके विरूद्ध विशिष्ट भूभाग हिस्से पर वादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का मुश्तहक नही है। अतः यह तनकी विरूद्ध वादी तय की जाती है।''

<u>तनकी नंबर 2–</u> '' आया वादी वादग्रस्त आराजी के मात्र 2/3 हिस्से का सहखातेदार कृषक है अन्य सहखातेदारो को पक्षकार मुकदमा न बनाने के कारण दावा काबिल खारिजी के है।'' इस तनकी को सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादीगण पर है जमाबन्दी संवत 2061–2064 वाके ग्राम नगला केसरिया स्थित खसरा नम्बर 257 व 258 कुल रकवा 0.07 हैक्टर में वादी केवल 2/3 हिस्से का ही खातेदार दर्ज रिकार्ड है। शेष 1/3 हिस्से के खातेदार को प्रकरण में पक्षकार नही बनाने से दावा मेन्टेनेबल नही हो सकता। अतः यह तनकी भी विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

<u>तनकी नंबर 3–</u> ''आया राज सरकार के नियमो के अनुसार कोई भी कृषक अपनी अथवा पडोसी की कृषि भूमि पर जब फसल न खडी हो सीमाज्ञान करा पाने का अधिकारी है।'' इस तनकी को

Web Copy Not Official

सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादीगण पर है। यहा यह विचारणीय है कि खडी फसल के समय तो पैमाइश नही की जा सकती किन्तु जून माह से पूर्व जब मौके पर फसल नही हो तो पैमाइश व सीमाज्ञान से इन्कार नही किया जा सकता। वादी का यह कथन कि दिनांक 11.09.2007 को प्रतिवादीगण द्वारा जबरन पैमाइश करने व मौके पर खडी फसल को नष्ट करने संबंधी धमकी देने की बाबत् वादी ने ऐसी कोई साक्ष्य व सबूत पत्रावली में प्रस्तुत नही किया है जिससे उसके द्वारा वादपत्र में की गई प्रार्थना की पुष्टि होती हो। फिर भी यदि वादी वादग्रस्त आराजी की पैमाइश कराना चाहे तो वह तहसीलदार भरतपुर के यहा निर्धारित शुल्क जमा कराकर पैमाइश करा सकता है । इसके लिये स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष का कोई औचित्य नही है। अतः यह तनकी भी विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

4. अन्य अनुतोष– उपरोक्त विवेचनानुसार वादी अपने प्रकरण में कोई भी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः दावा वादी खारिज किये जाने योग्य पाते है।

अतः आज्ञा है कि –

दावा वादी खारिज किया जाता है तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 22.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(संजय गोयल)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर भरतपुर